क्रम-संख्या—52 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०—91/2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 12 मार्च, 2020

फाल्गुन 22, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 415/79-वि-1—20-1(क)-1-2020

लखनऊ, 12 मार्च, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 जिससे राज्य कर अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 11 मार्च, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) इस अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 और 21 के उपबंध दिनांक 01 जनवरी, 2020 से प्रवृत्त माने जायेंगे तथा इस अधिनियम की धारा 2, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 के उपबंध ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होंगे जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खंड (4) में, शब्द "अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण," के पश्चात् शब्द "राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण," बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 10 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) उपधारा (1) में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण** 1—द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनों के लिए, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों के माध्यम से प्रदत्त छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति के मूल्य को, राज्य में आवर्त के मूल्य के अवधारण के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा।";

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (घ) के अंत में आने वाले शब्द "और" को निकाल दिया जायेगा;

(ii) खण्ड (ङ) में शब्द "अधिसूचित किया जाए;" के स्थान पर शब्द "अधिसूचित किया जाए; और" रख दिये जाएंगे;

(iii) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:—

"(च) वह न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है:";

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन कर के संदाय का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं है और जिसका पूर्व वित्तीय वर्ष का सकल आवर्त पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, उसके द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन संदेय कर के स्थान पर, विहित की जाने वाली दर पर, जो राज्य में उसकी आवर्त के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, संगणित कर की रकम का निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए संदाय करने का विकल्प ले सकेगा, यदि वह,—

(क) किसी ऐसे माल या सेवाओं की पूर्ति करने में नहीं लगा है, जो इस अधिनियम के अधीन कर के लिये उद्ग्रहणीय नहीं हैं;

(ख) माल या सेवाओं की अंतर्राज्यीय जावक पूर्ति करने में नहीं लगा है;

(ग) किसी ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं की ऐसी पूर्ति में नहीं लगा है, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है;

(घ) ऐसे माल का विनिर्माता या ऐसी सेवाओं का पूर्तिकार नहीं है, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं; और

(ङ) न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है या न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है:

परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इस उपधारा के अधीन योजना का तब तक के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा, जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन कर का संदाय करने के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं";

(घ) उपधारा (3) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (1)," दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, के पश्चात् शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर यथास्थिति "उपधारा (1) या उपधारा (2क)" बढ़ा दिये जायेंगे;

(ङ) उपधारा (4) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (1)" के पश्चात् शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (2क) बढ़ा दिये जायेंगे;

(च) उपधारा (5) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (1)" के पश्चात् शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर "यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (2क)" बढ़ा दिये जायेंगे;

(छ) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण 1**—इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की कर संदाय करने की पात्रता का निर्धारण करने के लिए उसके सकल आवर्त की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए पद "सकल आवर्त" के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तिथि तक की आपूर्तियां सम्मिलित होंगी जब वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु दायी बन जाता है, किन्तु इसमें सेवाओं की ऐसी करमुक्त आपूर्ति का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा जो निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित कर प्रदान की गयी हों और जहां प्रतिफल ब्याज या छूट के रूप में प्रदर्शित हो।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, पद "राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में आवर्त" में निम्नलिखित पूर्तियों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात्:—

(i) किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तिथि तक की पूर्तियां, जब ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है; और

(ii) सेवाओं की ऐसी करमुक्त पूर्ति, जो निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित कर प्रदान की गयी हो और जहां प्रतिफल, ब्याज या छूट के रूप में प्रदर्शित हो।"

धारा 22 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 22 में, उपधारा (1) में, द्वितीय परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक तथा स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:—

"परंतु यह भी कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर बीस लाख रुपये के सकल आवर्त को ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगी, जो किसी ऐसे पूर्तिकार की दशा में, जो माल की अनन्य पूर्ति में लगा है, चालीस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी और यह ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए किया जाएगा, जो अधिसूचित की जाएं।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के संबंध में तब भी यह समझा जाएगा कि वह माल की अनन्य पूर्ति में लगा है, यदि वह सेवाओं की ऐसी करमुक्त आपूर्ति में लगा हुआ है जो निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित कर प्रदान की गयी हों और जहां प्रतिफल, ब्याज या छूट के रूप में प्रदर्शित हो।"

धारा 25 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 25 में, उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् :—

"(6क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, विहित किये जाने वाले प्ररूप और रीति में तथा समय के भीतर सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परंतु यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति में, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रदान किया जाएगा :

परन्तु यह और कि सत्यापन कराये जाने या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करने या पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने में विफल रहने की दशा में ऐसे व्यक्ति को आवंटित रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य समझा जाएगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध, इस प्रकार लागू होंगे मानों ऐसे व्यक्ति के पास रजिस्ट्रीकरण नहीं है।

(6ख) अधिसूचित की जाने वाली तारीख को ही प्रत्येक व्यष्टि रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति में सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परंतु जहां किसी व्यष्टि को, आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, वहां व्यष्टि को पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रदान किया जाएगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6ग) अधिसूचित की जाने वाली तारीख को ही, व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, सत्यापन कराएगा या ऐसी रीति में, जो अधिसूचित की जाए, कर्ता, प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक, ऐसे भागीदारों, यथास्थिति, संगम की प्रबन्ध समिति, न्यासी बोर्ड के सदस्यों, प्राधिकृत प्रतिनिधियों, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्गों द्वारा, ऐसी रीति में, जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग, जिन्हें आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, उन्हें पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रदान किया जाएगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6घ) उपधारा (6क) या उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबन्ध, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या राज्य या राज्य के किसी ऐसे भाग के लिये लागू नहीं होंगे, जिसे परिषद् की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद "आधार सख्यांक" का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों तथा सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) में उसके लिए निर्दिष्ट है।"

नई धारा 31क का बढ़ाया जाना

6--मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :--

"31क—सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को विहित कर सकेगी, जो उसके द्वारा की गयी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के प्राप्तिकर्ता को, इलेक्ट्रानिक संदाय का विहित ढंग उपलब्ध कराएगा और तद्नुसार ऐसे प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो विहित किए जाएं, अधीन रहते हुए संदाय करने का विकल्प उपलब्ध कराएगा।"

प्राप्तिकर्ता को डिजिटल संदाय की सुविधा

धारा 39 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 39 में,—

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात्:—

"(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कैलेंडर मास या उसके किसी भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रारूप एवं रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलेक्ट्रानिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) धारा 10 के उपबन्धों के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रारूप तथा रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलेक्ट्रानिक रूप से राज्य में आवर्त की विवरणी प्रस्तुत करेगा।";

(ख) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्:—

"(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है, जिसे उसके परंतुक या उपधारा (3) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट किया गया है, सरकार को, ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर का संदाय अंतिम तारीख, जिस पर उसके द्वारा ऐसी विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो, से पूर्व करेगा :

परंतु उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किये गये इनपुट का प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्रारूप एवं रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को देय कर का संदाय करेगा :

परंतु यह और कि उपधारा (2) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्रारूप एवं रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को देय कर का संदाय करेगा।"

धारा 44 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 44 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय—सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।"

धारा 49 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 49 में, उपधारा (9) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:—

"(10) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्रारूप और रीति में तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते में उपलब्ध किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या किसी अन्य रकम को एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या उपकर संबंधी इलेक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते से प्रतिदाय के रूप में समझा जाएगा।

(11) जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहां उसे उपधारा (1) में यथा उपबंधित रूप में उक्त खाते में जमा किया गया समझा जाएगा।"

धारा 50 का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में संदेय कर पर ब्याज, जिसे धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किया गया है, सिवाय वहां के, जहां ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस भाग पर उद्गृहीत किया जाएगा, जिसका संदाय इलेक्ट्रानिक नकद खाते से निकालकर किया गया है।"

धारा 52 का संशोधन

11-मूल अधिनियम की धारा 52 में,-

(क) उपधारा (4) में निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात् :-

"परंतु आयुक्त, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।";

(ख) उपधारा (5) में, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात् :-

"परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।"

नई धारा 53-क का बढ़ाया जाना

12-मूल अधिनियम की धारा 53 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

"53क-जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते से केन्द्रीय कर या एकीकृत कर या उपकर हेतु इलेक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया जाता है, वहां सरकार केन्द्रीय कर खाता या एकीकृत कर खाता या उपकर खाते को, इलेक्ट्रानिक नकद खाते से अंतरित की गयी रकम के समतुल्य रकम का ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरण करेगी।"

कतिपय रकमों का अंतरण

धारा 54 का संशोधन

13-मूल अधिनियम की धारा 54 में, उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:-

"(8क) जहां केन्द्र सरकार ने राज्य कर के प्रतिदाय का संवितरण किया हो, वहां राज्य सरकार इस प्रकार प्रतिदायकृत रकम के समतुल्य रकम, केन्द्र सरकार को अंतरित करेगी।"

धारा 95 का संशोधन

14-मूल अधिनियम की धारा 95 में,-

(i) उपखंड (क) में-

(क) शब्द "अपील प्राधिकरण" के पश्चात् शब्द "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" रख दिये जाएंगे;

(ख) शब्द और अंक "धारा 100 की उपधारा (1)" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "धारा 100 की उपधारा (1) या धारा 101ग" बढ़ा दिये जाएंगे;

(ii) उपखंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:—

"(च) "राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" से धारा 101क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है।"

नई धारा 101क, 101ख और 101ग का बढ़ाया जाना

15—मूल अधिनियम की धारा 101 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्:—

राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का गठन

101क—इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, इस अध्याय के उपबंधों के, अध्यधीन, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101क के अधीन गठित राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण समझा जाएगा।

राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को अपील

101ख—(1) जहां धारा 97 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रश्नों के संबंध में, धारा 101 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन दो या अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों या दोनों के अपील प्राधिकरणों द्वारा विरोधाभासी अग्रिम विनिर्णय दिए जाते हैं, वहां आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या आवेदक, जो धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्ति है और जो ऐसे अग्रिम विनिर्णय से व्यथित है, वह राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा :

परन्तु अधिकारी उन राज्यों से होगा, जिनमें ऐसे अग्रिम विनिर्णय दिए गए हैं।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से, जिस तारीख को वह विनिर्णय, जिसके विरुद्ध अपील चाही गयी है, आवेदक, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारियों को संसूचित किये जाने के तीस दिन की अवधि के भीतर दाखिल की जाएगी :

परन्तु आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, उस तारीख से, जिस तारीख को वह विनिर्णय, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को संसूचित किये जाने के नब्बे दिन की अवधि के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा :

परन्तु यह और कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को, यथास्थिति, उक्त तीस दिन या नब्बे दिन के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था, तो वह ऐसी अपील को तीस दिन से अनधिक अग्रतर अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—शंकाओं के निराकरण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यथास्थिति तीस दिन या नब्बे दिन की अवधि की गणना, उस तारीख से की जाएगी, जिस तारीख को अंतिम विरोधाभासी विनिर्णय को, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, संसूचित किया गया था।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, ऐसे प्रारूप में होगी, जिसके साथ ऐसी फीस होगी और उसे ऐसी रीति में सत्यापित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।

राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का आदेश

101ग—(1) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण, आवेदक, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, केंद्रीय कर के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त तथा सभी राज्यों के राज्य कर मुख्य आयुक्त तथा आयुक्त और सभी संघ राज्य क्षेत्रों के संघ राज्य क्षेत्र कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस विनिर्णय, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को पुष्ट या उपांतरित करते हुये ऐसा आदेश कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

(2) यदि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के सदस्यों की किसी बिन्दु पर भिन्न राय हो तो उसका विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आदेश धारा 101ख के अधीन अपील फाइल करने की तारीख से यथासंभव नब्बे दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(4) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय की प्रति को सदस्यों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित किया जाएगा, जो विहित की जाए, और उसे सुनाए जाने के पश्चात् यथास्थिति, आवेदक, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, बोर्ड, सभी राज्यों के राज्य कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों के संघ राज्य क्षेत्र कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त को और प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को भेजा जाएगा।"

धारा 102 का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 102 में, प्रारम्भिक भाग में,—

(क) शब्द "अपील प्राधिकरण" दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हों, के पश्चात् शब्द "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" बढ़ा दिये जाएंगे;

(ख) शब्द तथा अंक "या धारा 101" के पश्चात् शब्द, अंक तथा अक्षर "या धारा 101ग" बढ़ा दिये जायेंगे;

(ग) शब्द "या अपीलार्थी" के स्थान पर शब्द "अपीलार्थी, प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण" रख दिये जाएंगे।

धारा 103 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 103 में,—

(i) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा इस अध्याय के अधीन सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय निम्नलिखित पर बाध्यकारी होगा—

(क) आवेदक, जो सुभिन्न व्यक्ति है, जिन्होंने धारा 101ख की उपधारा (1) के अधीन विनिर्णय चाहा हो और सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों जिनके पास आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी किया गया एक ही स्थायी लेखा संख्या हो;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आवेदकों के संबंध में संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनके पास आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी एक ही स्थायी लेखा संख्या हो।";

(ii) उपधारा (2) में शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (1)" के पश्चात् शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर "और उपधारा (1क)" बढ़ा दिये जाएंगे।

धारा 104 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 104 में, उपधारा (1) में,—

(क) शब्द "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण" के पश्चात् शब्द "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" बढ़ा दिये जाएंगे;

(ख) शब्द और अंक "धारा 101" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 101ग के अधीन" बढ़ा दिये जाएंगे।

धारा 105 का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 105 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रख दिया जाएगा, अर्थात्:—

"प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की शक्तियां";

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "अपील प्राधिकरण" के पश्चात् शब्द "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" बढ़ा दिये जाएंगे;

(ग) उपधारा (2) में, शब्द "अपील प्राधिकरण" के पश्चात् शब्द "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" बढ़ा दिये जाएंगे।

धारा 106 का संशोधन

20–मूल अधिनियम की धारा 106 में,–

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

"प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया";

(ख) शब्द "अपील प्राधिकरण" के पश्चात् शब्द "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" बढ़ा दिये जाएंगे।

धारा 171 का संशोधन

21–मूल अधिनियम की धारा 171 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित संशोधन बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:–

"(3क) जहां उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार जाँच करने के पश्चात् उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन मुनाफाखोरी की है, वहां ऐसा व्यक्ति इस प्रकार मुनाफाखोरी की गई रकम के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करने का दायी होगा :

परन्तु यह कि ऐसी कोई शास्ति उद्ग्रहणीय नहीं होगी, यदि मुनाफाखोरी की रकम को प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर जमा करा दिया गया है।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद "मुनाफाखोरी" से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जिसे माल या सेवा या दोनों के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा माल या सेवा या दोनों की कीमत में कमी की अनुरूपता के माध्यम से प्राप्तिकर्ता को नहीं देने के कारण अवधारित किया गया है।

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2020

22–(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सहप्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017), जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, माल या सेवा अथवा दोनों के अंतः राज्यीय पूर्ति पर कर उद्ग्रहण एवं संग्रहण का उपबन्ध करने के लिये अधिनियमित किया गया है।

2–उक्त अधिनियम में नये माल और सेवाकर व्यवस्था में विद्यमान करदाताओं के सुगम संक्रमण के लिये कतिपय उपबंधों की व्यवस्था है। तथापि नयी कर व्यवस्था में कतिपय कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं। लघु एवं मध्यम करदाताओं को हुई एक प्रमुख असुविधा, माल और सेवाकर विधियों के अधीन कर विवरणी दाखिल करने तथा उसका संदाय करने की प्रक्रिया थी। इस सम्बन्ध में प्रस्तावित विवरणी दाखिल करने की नयी प्रणाली में प्रशमन उद्ग्रहण का विकल्प लेने वाले करदाताओं द्वारा वार्षिक विवरणी दाखिल किया जाना एवं त्रैमासिक कर संदाय किया जाना तथा कतिपय श्रेणी के करदाताओं के लिए त्रैमासिक विवरणी

दाखिल किया जाना एवं मासिक कर संदाय की व्यवस्था किया जाना परिकल्पित है। उपर्युक्त विवरणी दाखिल करने की प्रणाली को क्रियान्वित करने तथा अन्य कठिनाइयों को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाय।

3–प्रस्तावित उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2020 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपबन्ध हैं :–

(1) "न्याय निर्णयन प्राधिकारी" की परिभाषा में "राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण" को सम्मिलित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (4) में संशोधन करना।

(2) सेवाओं के पूर्तिकारों या मिश्रित पूर्तिकारों जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में वार्षिक आवर्त पचास लाख रुपए तक है, के लिए वैकल्पिक प्रशमन स्कीम का उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 में संशोधन करना।

(3) माल की पूर्ति में अनन्य रूप से लगे पूर्तिकारों के मामले में बीस लाख रुपए से अनधिक चालीस लाख रुपए तक उच्चतर अवसीमा छूट का उपबंध करने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 22 में संशोधन करना।

(4) उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहने वाले या ले चुके व्यक्तियों के लिए आज्ञापक रूप से आधार प्रस्तुत करने या उनके अधिप्रमाणन हेतु उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 25 में संशोधन करना।

(5) यह उपबंध करने के लिए कि पूर्तिकर्ता अपने प्राप्तकर्ता को डिजिटल संदाय की सुविधा आज्ञापक रूप से उपलब्ध करायेगा, उक्त अधिनियम में नई धारा 31क का बढ़ाया जाना।

(6) प्रशमन उद्ग्रहण का विकल्प लेने वाले करदाताओं द्वारा वार्षिक विवरणी प्रस्तुत किये जाने और त्रैमासिक कर संदाय किये जाने का उपबंध करने के लिए तथा कतिपय अन्य श्रेणी के कर दाताओं हेतु त्रैमासिक विवरणी के विकल्प और मासिक कर संदाय का उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 39 में संशोधन करना।

(7) वार्षिक विवरणी तथा समाधान विवरण प्रस्तुत करने हेतु नियत दिनांक को बढ़ाने हेतु आयुक्त को सशक्त करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 44 में संशोधन करना।

(8) इलेक्ट्रानिक नकद बही में किसी एक शीर्षक से दूसरे शीर्षक में किसी धनराशि का अंतरण करने की करदाता को सुविधा का उपबंध करने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 49 में संशोधन करना।

(9) अधिनियम की धारा 73 या 74 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ होने के मामले को छोड़ कर शुद्ध नकद कर देयता पर ही ब्याज प्रभारित करने का उपबंध करने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 50 में संशोधन करना।

(10) स्रोत पर कर संग्रहण करने वाले व्यक्ति द्वारा मासिक और वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख को बढ़ाने हेतु आयुक्त को सशक्त करने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 52 में संशोधन करना।

(11) केन्द्र और राज्यों के मध्य इलेक्ट्रानिक नकद बही में धनराशि अंतरण हेतु उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम में नई धारा 53क का बढ़ाया जाना।

(12) राज्य करों के प्रतिदाय के सम्बन्ध में भी करदाताओं को प्रतिदाय धनराशि का वितरण करने के लिए केन्द्र सरकार को सशक्त करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 54 में संशोधन करना।

(13) "अग्रिम विनिर्णय" की परिभाषा में "राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण" को सम्मिलित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 95 के खण्ड (क) में संशोधन करना और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को परिभाषित करने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 95 में खण्ड (च) का बढ़ाया जाना।

(14) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101क के अधीन गठित राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण को अंगीकार करने हेतु उक्त अधिनियम में नई धाराओं क्रमशः 101क, 101ख और 101ग का बढ़ाया जाना जिससे कि उक्त प्राधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने एवं उसकी प्रक्रिया का उपबन्ध किया जा सके और यह उपबन्ध किया जा सके कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण अपील फाइल किये जाने के दिनांक से नब्बे दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित, करेगा, और यह भी उपबन्ध किया जा सके कि जहाँ सदस्य किसी बिन्दु पर भिन्न हों वहाँ विनिश्चय बहुतम द्वारा किया जायेगा।

(15) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को अपने अग्रिम विनिर्णय में सुधार करने के लिए उसे सशक्त करने हेतु उक्त धारा 102 की परिधि के भीतर उसे लाने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 102 का संशोधन करना।

(16) उक्त अधिनियम की धारा 103 में यह उपबंध करने के लिये संशोधन करना कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय भिन्न-भिन्न व्यक्ति होते हुए आवेदकों और एक ही स्थायी खाता संख्या धारक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों और उक्त आवेदक के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों या अधिकारिता वाले अधिकारियों तथा एक ही स्थायी खाता संख्या धारक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी होगा। यह भी उपबंध है कि विधि या तथ्यों में कोई परिवर्तन न हो।

(17) इस धारा के अधीन उपबंध के प्रयोजनार्थ अपील प्राधिकरण के साथ-साथ राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को भी अंगीकृत करने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 104 में संशोधन करना।

(18) यह उपबंध करने के लिए कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के पास अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग के प्रयोजन के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियाँ होंगी, उक्त अधिनियम की धारा 105 में संशोधन करना।

(19) यह उपबंध करने के लिये कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के पास उसकी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी, उक्त अधिनियम की धारा 106 में संशोधन करना।

(20) मुनाफाखोरी की धनराशि के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति अधिरोपित करने के लिए अधिनियम की धारा 171 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकरण को सशक्त करने हेतु उसमें नई उपधारा (2क) बढ़ाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 171 में संशोधन करना।

4—चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को लागू करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतएव, राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 जनवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश, संख्या 1 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।

5—यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 415(2)/LXXIX-V-1-20-1(ka)-1-2020

Dated Lucknow, March 12, 2020

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mal Aur Sewa Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 11, 2020. The Rajya Kar Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX

(AMENDMENT) ACT, 2020

(U.P. Act no. 5 of 2020)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020.

(2) The provisions of sections 3,4,5,6,8,9,11,12 and 21 of this Act shall be deemed to have come into force with effect to the 1st January, 2020 and provisions of sections 2,7,10,13,14,15,16,17,18,19 and 20 of this Act shall come into force at such date as the State Government may, by notification in the *Gazette,* appoint.

Amendment of section 2

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 hereinafter referred as the principal Act, in clause (4) *after* the words "the Appellate Authority for Advance Ruling,", the words "the National Appellate Authority for Advance Ruling," shall be *inserted.*

Amendment of section 10

3. In section 10 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1) *after* the second proviso the following Explanation shall be *inserted,* namely:—

"**Explanation.**— For the purposes of second proviso, the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the value of turnover in a State.";

(b) in sub-section (2),—

(i) in clause (d), the word "and" occurring at the end shall be *omitted;*

(ii) in clause (e), *for* the word "Council:", the words "Council; and" shall be *substituted;*

(iii) *after* clause (e), the following clause shall be *inserted,* namely:—

"(f) he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person:";

(c) *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted,* namely:—

"(2A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, but subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 9, a registered person, not eligible to opt to pay tax under sub-section (1) and sub-section (2), whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed fifty lakh rupees, may opt to pay, *in lieu* of the tax payable by him under sub-section (1) of section 9, an amount of tax calculated at such rate as may be prescribed, but not exceeding three percent of the turnover in State, if he is not—

(a) engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to tax under this Act;

(b) engaged in making any inter-State outward supplies of goods or services;

(c) engaged in making any supply of goods or services through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52;

(d) a manufacturer of such goods or supplier of such services as may be notified by the Government on the recommendations of the Council; and

(e) a casual taxable person or a non-resident taxable person:

Provided that where more than one registered person are having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961, the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under this sub-section unless all such registered persons opt to pay tax under this sub- section.";

(d) in sub-section (3), *after* the words, brackets and figure "under sub-section (1)" at both the places where they occur, the words, brackets, figure and letter "or sub-section (2A), as the case may be," shall be *inserted*;

(e) in sub-section (4), *after* the words, brackets and figure "of sub-section (1)", the words, brackets, figure and letter "or, as the case may be, sub-section (2A)" shall be *inserted*;

(f) in sub-section (5), *after* the words, brackets and figure "under sub-section (1)", the words, brackets, figure and letter "or sub-section (2A), as the case may be," shall be *inserted*;

(g) *after* sub-section (5), the following Explanations shall be *inserted*, namely:—

"**Explanation 1.**— For the purposes of computing aggregate turnover of a person for determining his eligibility to pay tax under this section, the expression "aggregate turnover" shall include the value of supplies made by such person to the 1st day of April of a financial year up to the date when he becomes liable for registration under this Act, but shall not include the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.

Explanation 2.— For the purposes of determining the tax payable by a person under this section, the expression "turnover in State or turnover in Union territory, shall not include the value of following supplies, namely:—

(i) supplies to the first day of April of a financial year up to the date when such person becomes liable for registration under this Act; and

(ii) exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.".

Amendment of section 22

4. In section 22 of the principal Act, in sub-section (1), *after* the second proviso, the following proviso and explanation shall be *inserted*, namely:—

"Provided also that the Government may, on the recommendations of the Council, enhance the aggregate turnover from twenty lakh rupees to such amount not exceeding forty lakh rupees in case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods, subject to such conditions and limitations, as may be notified.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, a person shall be considered to be engaged exclusively in the supply of goods even if he is engaged in exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.".

Amendment of section 25

5. In section 25 of the principal Act, *after* sub-section (6), the following sub-sections shall be *inserted,* namely :–

"(6A) Every registered person shall undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to the registered person, such person shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as Government may, on the recommendations of the Council, prescribe:

Provided further that in case of failure to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number or furnish alternate and viable means of identification, registration allotted to such person shall be deemed to be invalid and the other provisions of this Act shall apply as if such person does not have a registration.

(6B) On and from the date of notification, every individual shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to an individual, such individual shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6C) On and from the date of notification, every person, other than an individual, shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number of the Karta, Managing Director, whole time Director, such number of partners, Members of Managing Committee of Association, Board of Trustees, authorised representative, authorized signatory and such other class of persons, in such manner, as the Government may, on the recommendation of the Council, specify in the said notification:

Provided that where such person or class of persons have not been assigned the Aadhaar Number, such person or class of persons shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6D) The provisions of sub-section (6A) or sub-section (6B) or sub-section (6C) shall not apply to such person or class of persons or any State or part thereof, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify by notification.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression "Aadhaar number" shall have the same meaning as assigned to it in clause (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016.".

Insertion of new section 31A

6. *After* section 31 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

Facility of digital payment to recipient

"31A. The Government may, on the recommendations of the Council, prescribe a class of registered persons who shall provide prescribed modes of electronic payment to the recipient of supply of goods or services or both made by him and give option to such recipient to make payment accordingly, in such manner and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.".

7. In section 39 of the principal Act,— Amendment of section 39

(a) *for* sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be *substituted*, namely:—

"(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52 shall, for every calendar month or part thereof, furnish, a return, electronically, of inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable, tax paid and such other particulars, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain class of registered persons who shall furnish a return for every quarter or part thereof, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein.

(2) A registered person paying tax under the provisions of section 10, shall, for each financial year or part thereof, furnish a return, electronically, of turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, tax paid and such other particulars in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.";

(b) *for* sub-section (7), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(7) Every registered person who is required to furnish a return under sub-section (1), other than the person referred to in the proviso thereto, or sub-section (3) or sub-section (5), shall pay to the Government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return:

Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided further that every registered person furnishing return under sub-section (2) shall pay to the Government the tax due taking into account turnover in the State inward supplies of goods or services or both, tax payable, and such other particulars during a quarter, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.".

8. In section 44 of the principal Act, in sub-section (1), the following provisos shall be *inserted*, namely:— Amendment of section 44

"Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual return for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.".

9. In section 49 of the principal Act, *after* sub-section (9), the following sub- sections shall be *inserted*, namely:— Amendment of section 49

"(10) A registered person may, on the common portal, transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this Act, to the electronic cash ledger for integrated tax, central tax, State tax, Union territory tax or cess, in such form and manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this Act.

(11) Where any amount has been transferred to the electronic cash ledger under this Act, the same shall be deemed to be deposited in the said ledger as provided in sub-section (1).".

Amendment of section 50

10. In section 50 of the principal Act, in sub-section (1), the following proviso shall be *inserted*, namely:—

"Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger.".

Amendment of section 52

11. In section 52 of the principal Act,—

(a) in sub-section (4), the following provisos shall be *inserted*, namely:–

"Provided that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.";

(b) in sub-section (5), the following provisos shall be *inserted*, namely:—

"Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.".

Insertion of new section 53A

12. *After* section 53 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

Transfer of certain amounts

"53A. Where any amount has been transferred from the electronic cash ledger under this Act to the electronic cash ledger for Central tax or integrated tax or cess, the Government shall, transfer to the Central tax account, or integrated tax account or cess account an amount equal to the amount transferred from the electronic cash ledger, in such manner and within such time as may be prescribed."

Amendment of section 54

13. In section 54 of the principal Act, *after* sub-section (8), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(8A) Where the Central Government has disbursed the refund of the State tax, the Government shall transfer an amount equal to the amount so refunded, to the Central Government.".

Amendment of section 95

14. In section 95 of the principal Act,–

(i) in clause (a)—

(a) *after* the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be *inserted*;

(b) *after* the words and figures "of section 100", the words, figures and letter "or of section 101C" shall be *inserted*;

(ii) *after* clause (e), the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(f) 'National Appellate Authority' means the National Appellate Authority for Advance Ruling referred to in section 101A."

Insertion of new sections 101A, 101B and 101C

15. *After* section 101 of the principal Act, the following sections shall be *inserted*, namely :–

Constitution of National Appellate Authority for Advance Ruling

"101A. Subject to the provisions of this chapter, for the purposes of this Act, the National Appellate Authority *for* Advance Ruling constituted under section 101A of the Central Goods and Services Tax Act, shall be deemed to be the National Appellate Authority for Advance Ruling under this Act.

Appeal to the National Appellate Authority

101B. (1) Where, in respect of the questions referred to in sub-section (2) of section 97, conflicting advance rulings are given by the Appellate Authorities of two or more States or Union territories or both under sub-section (1) or sub-section (3) of section 101, any officer authorised by the Commissioner or an applicant, being distinct person referred to in section 25 aggrieved by such advance ruling, may prefer an appeal to National Appellate Authority:

Provided that the officer shall be from the State in which such advance rulings have been given.

(2) Every appeal under this section shall be filed within a period of thirty days from the date on which the ruling sought to be appealed against is communicated to the applicants, concerned officers and jurisdictional officers:

Provided that the officer authorised by the Commissioner may file appeal within a period of ninety days from the date on which the ruling sought to be appealed against is communicated to the concerned officer or the jurisdictional officer:

Provided further that the National Appellate Authority may, if it is satisfied that the appellant was prevented by a sufficient cause from presenting the appeal within the said period of thirty days, or as the case may be, ninety days, allow such appeal to be presented within a further period not exceeding thirty days.

Explanation .— For removal of doubts, it is clarified that the period of thirty days or as the case may be, ninety days shall be counted from the date of communication of the last of the conflicting rulings sought to be appealed against.

(3) Every appeal under this section shall be in such form, accompanied by such fee and verified in such manner as may be prescribed.

Order of National Appellate Authority

101C. (1) The National Appellate Authority may, after giving an opportunity of being heard to the applicant, the officer authorised by the Commissioner, all Principal Chief Commissioners of Central tax and Chief Commissioner and Commissioner of State tax of all States and Chief Commissioner and Commissioner of Union territory tax of all Union territories, pass such order as it thinks fit, confirming or modifying the rulings appealed against.

(2) If the members of the National Appellate Authority differ in opinion on any point, it shall be decided according to the opinion of the majority.

(3) The order referred to in sub-section (1) shall be passed as far as possible within a period of ninety days from the date of filing of the appeal under section 101B.

(4) A copy of the advance ruling pronounced by the National Appellate Authority shall be duly signed by the Members and certified in such manner as may be prescribed and shall be sent to the applicant, the officer authorised by the Commissioner, the Board, the Chief Commissioner and Commissioner of State tax of all States and Chief Commissioner and Commissioner of Union territory tax of all Union territories and to the Authority or Appellate Authority, as the case may be, after such pronouncement.".

16. In section 102 of the principal Act, in the opening portion,— Amendment of section 102

(a) *after* the words "Appellate Authority", at both the places where they occur, the words "or the National Appellate Authority" shall be *inserted;*

(b) *after* the words and figures "or section 101", the words, figures and letter "or section 101C, respectively," shall be *inserted;*

(c) *for* the words "or the appellant", the words "appellant, the Authority or the Appellate Authority" shall be *substituted.*

17. In section 103 of the principal Act,— Amendment of section 103

(i) *after* sub-section (1), the following sub-section shall be *inserted,* namely:—

"(1A) The advance ruling pronounced by the National Appellate Authority under this Chapter shall be binding on—

(a) the applicants, being distinct persons, who had sought the ruling under sub-section (1) of section 101B and all registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961;

(b) the concerned officers and the jurisdictional officers in respect of the applicants referred to in clause (a) and the registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961."

(ii) in sub-section (2), *after* the words, brackets and figure "in sub-section (1)", the words, brackets, figure and letter "and sub-section (1A)" shall be *inserted*.

Amendment of section 104

18. In section 104 of the principal Act, in sub-section (1),—

(a) *after* the words "Authority or the Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be *inserted*;

(b) *after* the words and figures "of section 101", the words, figures and letter "or under section 101C" shall be *inserted*.

Amendment of section 105

19. In section 105 of the principal Act,—

(a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be *substituted*, namely:—

"Powers of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority";

(b) in sub-section (1), *after* the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be *inserted;*

(c) in sub-section (2), *after* the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be *inserted*.

Amendment of section 106

20. In section 106 of the principal Act,—

(a) *for* the marginal heading, the following marginal heading shall be *substituted*, namely:—

"Procedure of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority";

(b) *after* the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be *inserted*.

Amendment of section 171

21. In section 171 of the principal Act, *after* sub-section (3), the following Amendment shall be *inserted*, namely:—

"(3A) Where the Authority referred to in sub-section (2) after holding examination as required under the said sub-section comes to the conclusion that any registered person has profiteered under sub-section (1), such person shall be liable to pay penalty equivalent to ten per cent of the amount so profiteered:

Provided that no penalty shall be leviable if the profiteered amount is deposited within thirty days of the date of passing of the order by the Authority.

Explanation.— For the purposes of this section, the expression "profiteered" shall mean the amount determined on account of not passing the benefit of reduction in rate of tax on supply of goods or services or both or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in the price of the goods or services or both."

Repeal and saving

22. (1) The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 1 of 2020

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Goods and Service Tax Act, 2017 (U. P. Act no. 1 of 2017), hereafter referred to as the said Act, has been enacted to make a provision to levy and collection of tax on intra-state supply of goods or services or both by the State of Uttar Pradesh.

2. The said Act, provides for certain provisions for smooth transition of existing tax payers to new goods and service tax regime. However the new tax regime had faced certain difficulties. One of the major inconveniences caused to the small and medium tax payers was the process of filing return and payment of tax under the Goods and Service Tax laws. In this regard the purposed new return filing system envisages annually filing of return and quarterly payment of tax by tax payer who opts for composition levy and quarterly filing of return and monthly payment of tax for certain category of taxpayers. In order to implement above return filing system and also to overcome other difficulties, it was decided to amend the said Act.

3. The proposed Uttar Pradesh Goods and Service Tax (Amendment) Bill, 2020, *inter alia,* provides for,-

(1) amending clause (4) of section 2 of the said Act to include "the National Appellate Authority for Advance Ruling" in the definition of "adjudicating authority".

(2) amending section 10 of the said Act to provide alternative composition scheme for supplier of services or mixed suppliers having an annual turnover in preceeding financial year up to rupees fifty lakhs.

(3) amending section 22 of the said Act to provide for higher threshold exemption limit from rupees twenty lakhs to such amount not exceeding rupees forty lakhs in case of supplier exclusively engaged in the supply of goods.

(4) amending section 25 of the said Act to provide for mandatory Aadhaar submission or authentication for persons intending to take or have taken registration under the said Act.

(5) inserting new section 31A in the said Act to provide that supplier shall mandatorily offer facility for digital payments to his recipient.

(6) amending section 39 of the said Act to provide for furnishing of annual returns and for quarterly payment of tax by taxpayer who opts for composition levy and to provide for certain other category of tax payers, an option for quarterly return and monthly payments of tax.

(7) amending section 44 of the said Act to empower the commissioner to extend the due date for furnishing annual return and reconciliation statement.

(8) amending section 49 of the said Act to provide facility to the tax payer to transfer an amount from one head to another in the electronic cash ledger.

(9) amending section 50 of the said Act to provide for charging interest only on the net cash tax liability, except in cases of initiation of any proceeding under section 73 or 74 of the Act.

(10) amending section 52 of the said Act to empower the Commissioner to extend the due date for furnishing of monthly and annual statement by the person collecting tax at source.

(11) insertion of new section 53A in the said Act to provide for transfer of amount in the electronic cash ledger between the Centre and States.

(12) amending section 54 of the said Act to empower the Central Government to disburse refund amount to the tax payers in respect of refund of State taxes also.

(13) amending clause (a) of section 95 of the said Act to include "the National Appellate Authority for advance Ruling" in the definition of "advance ruling" and to insert clause (f) in section 95 of said Act to define "National Appellate Authority".

(14) insertion of new sections 101A, 101B and 101C in the said Act respectively to adopt the National Authority for advance Ruling constituted under section 101A of Central Goods and Services Tax Act, to provide for filing of appeals and the procedure before said authority and to provide that the National Appellate Authority shall pass order within a period of ninety days from

the date of filing of the appeals. It also provide that where the members differ on any point, it shall be decided by majority.

(15) amending section 102 of the said Act to bring the National Appellate Authority within the ambit of that section to empower it to rectify its advance ruling.

(16) amending section 103 of the said Act to provide that the advance ruling pronounced by the National Appellate Authority shall be binding on the applicants, being distinct persons and registered persons having the same Permanent Account Number and on the concerned officers or the jurisdictional officers in respect of the said applicant and the registered persons having the same Permanent Account Number. It also provides that the ruling shall be binding unless there is a change in law or facts.

(17) amending section 104 of the said Act to adopt the National Appellate Authority along with Appellate Authority for the purposes of provision under this section.

(18) amending section 105 of the said Act to provide that the National Appellate Authority shall have all the power of civil court under the code of Civil Procedure, 1908 for the purpose of exercising its powers under the Act.

(19) amending section 106 of the said Act to provide that the National Appellate Authority shall have power to regulate its own procedure.

(20) amending section 171 of the said Act to insert new sub-section (2A) therein to empower the Authority specified under sub-section (2) thereof to impose penalty equivalent to ten per cent of the profiteered amount.

4. Since the State legislature was not in session and immediate Legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2020 (U.P. Ordinance no. 1 of 2020) was promulgated by the Governor on January 27, 2020.

5. This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 744 राजपत्र–(हि0)–2020–(1772)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 159 सा0 विधायी–2020–(1773)–300 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

क्रम-संख्या—130

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 31 अगस्त, 2020

भाद्रपद 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1574 / 79-वि-1–20-1(क)-19-20

लखनऊ, 31 अगस्त, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 जिससे राज्य कर अनुभाग–2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 28 अगस्त, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 31 मार्च, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017 में नई धारा 168क का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

विशेष परिस्थितियों में समय बढ़ाने की सरकार की शक्ति

"168क—(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, ऐसी कार्यवाहियों, जो अपरिहार्य घटना के कारण पूर्ण नहीं की जा सकती हैं, अथवा जिनका अनुपालन नहीं किया जा सकता है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट अथवा विहित अथवा अधिसूचित समय सीमा में वृद्धि कर सकती है।

(2) इस धारा की शक्ति में ऐसे दिनांक, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व का न हो, से ऐसी अधिसूचना में भूतलक्षी प्रभाव प्रदान करने की शक्ति सम्मिलित होगी।

स्पष्टीकरण :— इस धारा के प्रयोजन के लिए पद 'अपरिहार्य घटना' का तात्पर्य युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, अग्नि, चक्रवात, भूकम्प अथवा प्रकृति के कारण या, इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के क्रियान्वयन को अन्यथा रूप में प्रभावित करने वाली किसी अन्य आपदा से है।"

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2020

3—(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, माल या सेवा अथवा दोनों के अंतः राज्यीय पूर्ति पर कर उद्ग्रहण एवं संग्रहण का उपबंध करने के लिये अधिनियमित किया गया है।

2—कोविड—19 के कारण लॉक—डाउन के फलस्वरूप करदाताओं के समक्ष उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को नियंत्रित करने हेतु प्रस्तावित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 में उक्त अधिनियम सन् 2017 की धारा 168 के पश्चात् एक नई धारा 168क बढ़ाये जाने का उपबंध किया गया है, जो सरकार को, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से अपूर्वतर भूतलक्षी प्रभाव से ऐसी कार्यवाहियों, जो अपरिहार्य घटना के कारण पूर्ण नहीं की जा सकती हैं अथवा जिनका अनुपालन नहीं किया जा सकता है, के संबंध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट अथवा विहित अथवा अधिसूचित समय—सीमा में वृद्धि करने की शक्ति प्रदान करती है।

3—चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वियत करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।

4—यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 1574(2)/LXXIX-V-1-20-1(ka)-19-20
Dated Lucknow, August 31, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mal Aur Sewa Kar (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 28, 2020. The Rajya Kar Anubhag-2, is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 2020

(U.P. Act no. 16 of 2020)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2020;

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 31st March, 2020.

Insertion of new section 168A in U.P. Act no. 1 of 2017

2. *After* section 168 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, the following section shall be *inserted,* namely:—

Power of Government to extend time in special circumstances

"168A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on recommendations of the council, by notification extend the time limit specified in, or prescribed or notified under, this Act in respect of actions which cannot be completed or complied with due to *force majeure.*

(2) The power of this section shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the date of commencement of this Act.

Explanation:-For the purpose of this section the expression '*force majeure*' means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this Act."

Repeal and saving

U. P. Ordinance no. 7 of 2020

3. (1) The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) hereafter referred to as the said Act, has been enacted to make a provision for levy and collection of tax on *intra-state* supply of goods or services or both by the State of Uttar Pradesh.

2. To overcome the difficulties faced by tax payers, arising by reason of Lockdown due to COVID-19, the proposesd Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2020 provides for insertion of a new section 168A after section 168 of the said Act, 2017, which empowers the

Government by notification, even retrospectively not earlier than the date of commencement of this Act, to extend the time limit specified in, or prescribed or notified under, this Act in respect of actions which cannot be completed or complied with due to *force majeure*.

3. Since the State legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2020 (U.P. Ordinance no. 7 of 2020) was promulgated by the Governor on April 22, 2020.

4. This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 183 राजपत्र–2020–(548)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 141 सा0 विधायी–2020–(549)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

183_RPH_2020_(Goods and Services Tax)-2020 Data-4E

क्रम-संख्या–141

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 31 अगस्त, 2020

भाद्रपद 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1573 / 79-वि-1–20-1(क)-27-20

लखनऊ, 31 अगस्त, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 जिससे राज्य कर अनुभाग–2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 28 अगस्त, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा;

(2) अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, खण्ड (114) में, उपखण्ड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"(ग) दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव;

(घ) लद्दाख";

धारा 10 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख), (ग) और (घ) में, शब्द "माल" के पश्चात् शब्द "या सेवाओं" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 16 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (4) में, शब्द "से सम्बन्धित बीजक" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 29 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

"(ग) कराधेय व्यक्ति अब धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये जाने के दायित्वाधीन नहीं है या धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वेच्छा से किए गए रजिस्ट्रीकरण से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है"।

धारा 30 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (1) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि ऐसी अवधि, पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा बढ़ाई जा सकती है,–

(क) संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), अनधिक तीस दिन की अवधि के लिये;

(ख) अपर आयुक्त ग्रेड–एक, खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि से आगे अग्रतर अनधिक तीस दिन की अवधि के लिये"।

धारा 31 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 31 में उपधारा (2) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,–

(क) ऐसी सेवाओं या पूर्तियों की श्रेणियाँ विनिर्दिष्ट कर सकती हैं जिनके सम्बन्ध में ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसा कि विहित किया जाये, एक कर बीजक जारी किया जाएगा;

(ख) उसमें उल्लिखित शर्त के अध्यधीन ऐसी सेवा श्रेणियाँ विनिर्दिष्ट कर सकती हैं जिसके सम्बन्ध में,–

(i) पूर्ति के सम्बन्ध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज, कर बीजक के रूप में जायेगा; या

(ii) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकता है।"

धारा 51 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 51 में,–

(क) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(3) स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति में जारी किया जाएगा जैसा विहित किया जाये।";

(ख) उपधारा (4) निकाल दी जायेगी।

धारा 122 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 122 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

"(1क) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के खण्ड (i), (ii), (vii) या खण्ड (ix) से आच्छादित संव्यवहार की प्रसुविधा प्रतिधारित करता है और जिसकी प्रेरणा पर ऐसा संव्यवहार किया जाता है, अपवंचित कर या उपभुक्त या अन्तरित इनपुट कर प्रत्यय के बराबर की धनराशि की शास्ति के लिये दायी होगा।"

10—मूल अधिनियम की धारा 132 में, उपधारा (1) में,— धारा 132 का संशोधन

(i) शब्द "जो निम्नलिखित में से किसी अपराध को कारित करता है", के स्थान पर शब्द "जो कोई निम्नलिखित में से कोई अपराध करता है, या करवाता है और उससे होने वाली प्रसुविधाओं को प्रतिधारित करता है" रख दिये जायेंगे;

(ii) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट बीजक या बिल का प्रयोग करते हुए इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करता है अथवा बिना किसी बीजक या बिल के इनपुट कर प्रत्यय का कपटपूर्वक उपभोग करता है";

(iii) खण्ड (ङ) में शब्द, "कपट से इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति" को निकाल दिया जाएगा।

11—मूल अधिनियम की धारा 140 में, दिनांक 1 जुलाई, 2017 से — धारा 140 का संशोधन

(i) उपधारा (1) में, शब्द "विद्यमान विधि के अधीन" के पश्चात्, शब्द "तथा ऐसी समयावधि के भीतर और" बढ़ा दिये जायेंगे और बढ़ा दिये गये समझे जायेंगे;

(ii) उपधारा (2) में, शब्द "नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन" के पश्चात्, शब्द "तथा ऐसी समयावधि के भीतर" बढ़ा दिये जायेंगे और बढ़ा दिये गये समझे जायेंगे;

(iii) उपधारा (3) में, शब्द "स्टाक में धारित अर्द्धनिर्मित माल या निर्मित मालों में अन्तर्विष्ट इनपुटों के सम्बन्ध में नियत दिन को मूल्य संवर्धित कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय के लिये" के स्थान पर शब्द "स्टाक में धारित अर्द्धनिर्मित माल या निर्मित मालों में अन्तर्विष्ट इनपुटों के सम्बन्ध में नियत दिन को मूल्य संवर्धित कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय के लिये, ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाये" रख दिये जायेंगे और रख दिये गये समझे जायेंगे;

(iv) उपधारा (5) में, शब्द "विद्यमान विधि" के स्थान पद शब्द "विद्यमान विधि के अधीन ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जैसा विहित किया जाये" रख दिये जायेंगे और रख दिये गये समझे जायेंगे;

(v) उपधारा (6) में, शब्द "नियत दिन को अपने स्टाक में अन्तर्विष्ट अर्द्धनिर्मित या निर्मित मालों के निवेश को स्टाक में धारित स्टाक और निवेश के सम्बन्ध में पात्र शुल्क" के स्थान पर शब्द "नियत दिन को अपने स्टाक में अन्तर्विष्ट अर्द्धनिर्मित या निर्मित मालों के निवेश को स्टाक में धारित स्टाक और निवेश के सम्बन्ध में पात्र शुल्क, ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में जैसा कि विहित किया जाये" रख दिये जायेंगे और रख दिये गये समझे जायेंगे।

12—मूल अधिनियम की धारा 172 में, उपधारा (1) में, परंतुक में, शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर, शब्द "पाँच वर्ष" रख दिये जायेंगे। धारा 172 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की अनुसूची—दो में, पैरा 4 में, उन दोनों स्थानों पर, जहाँ पर वे आये हों शब्द "चाहे वह किसी प्रतिफल के लिए हो या न हो" निकाल दिये जायेंगे और वे दिनांक 1 जुलाई, 2017 से निकाल दिये गये समझे जायेंगे। अनुसूची दो में संशोधन

निरसन और व्यावृत्ति

14—(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2020, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017), जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, माल या सेवा अथवा दोनों के अंतः राज्यीय पूर्ति पर कर उद्ग्रहण एवं संग्रहण का उपबन्ध करने के लिये अधिनियमित किया गया है।

उक्त अधिनियम में नये माल और सेवा कर व्यवस्था में विद्यमान करदाताओं के सुगम संक्रमण के लिये कतिपय उपबंधों की व्यवस्था है, तथापि नयी कर व्यवस्था में कतिपय कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं। स्वेच्छा से किये गये रजिस्ट्रीकरण से बाहर निकलने के विकल्प को सरल बनाने, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण हेतु आवेदन करने की समय सीमा बढ़ाये जाने, कर बीजक जारी करने एवं स्रोत पर कर की कटौती करने के औचित्यपूर्ण उपबंध करने, कपटपूर्ण रूप से आई0टी0सी0 प्राप्त करने के मामले में वास्तविक लाभार्थी व्यक्ति का दायित्व अवधारित किये जाने, विद्यमान विधि में अवशेष आई0टी0सी0 को जी0एस0टी0 अवधि के लिये अग्रनीत करने तथा अन्य कठिनाइयों को भी नियन्त्रित करने के लिये यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम में निम्नलिखित उपबंध करने के लिये संशोधन किया जाय :–

(क) केन्द्र सरकार द्वारा किये गये संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन को अधिनियम में सम्मिलित करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 2(114) के उप खण्ड (ग) एवं (घ) को प्रतिस्थापित किया जाना;

(ख) सेवा पूर्तिकर्ता के लिये विनिर्दिष्ट समाधान योजना का उपबंध करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 10 में संशोधन किया जाना;

(ग) साखपत्रों द्वारा आई0टी0सी0 के अन्तरण को औचित्यपूर्ण बनाये जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 16(4) में संशोधन किया जाना;

(घ) उक्त अधिनियम की धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किन्तु रजिस्ट्रीकरण हेतु गैर उत्तरदायी व्यक्ति और उक्त अधिनियम की धारा 25(3) के अधीन स्वेच्छा से रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण से बाहर निकलने के विकल्प को सरल बनाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 29(1)(ग) में संशोधन किया जाना;

(ङ) रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण हेतु आवेदन करने की समय सीमा बढ़ाये जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 30(1) के परन्तुक में संशोधन किया जाना;

(च) कर बीजक जारी करने के उपबंधों को औचित्यपूर्ण बनाये जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 31(2) के परन्तुक में संशोधन किया जाना;

(छ) स्रोत पर कर कटौती करने के उपबंधों को औचित्यपूर्ण बनाये जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 51(3) का संशोधन किया जाना तथा धारा 51(4) का निकाला जाना;

(ज) कपट पूर्ण रूप से आई0टी0सी0 प्राप्त करने के मामले में वास्तविक लाभार्थी व्यक्ति का दायित्व अवधारित करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 122(1) के पश्चात् नई उपधारा (1क) का बढ़ाया जाना;

(झ) कपट पूर्ण रूप से आई0टी0सी0 प्राप्त करने के मामले में वास्तविक लाभार्थी व्यक्ति का दायित्व अवधारित करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 132(1) में संशोधन किया जाना;

(ञ) विद्यमान विधि में अवशेष आई0टी0सी0 को जी0एस0टी0 अवधि के लिये अग्रनीत करने से संबंधित उपबंधों में किये गये परिवर्तनों को दिनांक 1 जुलाई, 2017 से लागू करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 140 में संशोधन किया जाना;

(ट) कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति प्रदान करने की समय-सीमा बढ़ाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 172(1) के परन्तुक में संशोधन किया जाना;

(ठ) अनुसूची-दो में किये गये परिवर्तनों को भूतलक्षी रूप से लागू करने हेतु उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो में संशोधन किया जाना।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को लागू करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतएव, राज्यपाल द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 1573(2)/LXXIX-V-1-20-1(ka)-27-20

Dated Lucknow, August 31, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mal Aur Seva Kar (Tritiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 24 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 28, 2020. The Rajya Kar Anubhag-2, is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (THIRD AMENDMENT) ACT, 2020

(U.P. Act no. 24 OF 2020)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Third Amendment) Act, 2020.

(2) Save as otherwise provided, it shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 1 of 2017

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in clause (114), *for* sub-clauses (c) and (d), the following sub-clauses shall be *substituted*, namely :–

"(c) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;

(d) Ladakh."

Amendment of section 10

3. In section 10 of the principal Act, in sub-section (2), in clauses (b), (c) and (d), *after* the words "of goods", the words "or services" shall be *inserted.*

Amendment of section 16

4. In section 16 of the principal Act, in sub-section (4), the words "invoice relating to such" shall be *omitted.*

Amendment of section 29

5. In section 29 of the principal Act, in sub-section (1), *for* clause (c), the following clause shall be *substituted*, namely :–

"(c) the taxable person is no longer liable to be registered under section 22 or section 24 or intends to opt out of the registration voluntarily made under sub-section (3) of section 25."

Amendment of section 30

6. In section 30 of the principal Act, in sub-section (1), *for* the proviso, the following proviso shall be *substituted*, namely :-

"Provided that such period may, on sufficient cause being shown, and for reasons to be recorded in writing, be extended,–

(a) by the Joint Commissioner (Executive), for a period not exceeding thirty days;

(b) by the Additional Commissioner Grade-1, for a further period not exceeding thirty days, beyond the period specified in clause (a)."

Amendment of section 31

7. In section 31 of the principal Act, in sub-section (2), *for* the proviso, the following proviso shall be *substituted*, namely :-

"provided that the Government may, on the recommendations of the council, by notification,–

(a) specify the categories of services or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued, within such time and in such manner as may be prescribed;

(b) subject to the condition mentioned therein, specify the categories of services in respect of which–

(i) any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice; or

(ii) tax invoice may not be issued."

Amendment of section 51

8. In section 51 of the principal Act ,–

(a) *for* sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted*, namely :–

"(3) A certificate of tax deduction at source shall be issued in such form and in such manner as may be prescribed."

(b) sub-section (4) shall be *omitted.*

Amendment of section 122

9. In section 122 of the principal Act, *after* sub-section (1), the following sub-section shall be *inserted*, namely :–

"(1A) Any person who retains the benefit of a transaction covered under clauses (i), (ii), (vii) or clause (ix) of sub-section (1) and at whose instance such transaction is conducted, shall be liable to a penalty of an amount equivalent to the tax evaded or input tax credit availed of or passed on."

Amendment of section 132

10. In section 132 of the principal Act, in sub-section (1),–

(i) *for* the words "Whoever commits any of the following offences", the words "Whoever commits, or causes to commit and retain the benefits arising out of, any of the following offences" shall be *substituted*;

(ii) *for* clause (c), the following clause shall be *substituted*, namely :–

"(c) avails input tax credit using the invoice or bill referred to in clause (b) or fraudulently avails input tax credit without any invoice or bill;"

(iii) in clause (e), the words "fraudulently avails input tax credit" shall be *omitted.*

Amendment of section 140

11. In section 140 of the principal Act, with effect from the 1st day of July, 2017,–

(i) in sub-section (1), *after* the words "existing law", the words "within such time and" shall be *inserted* and shall be deemed to have been *inserted*;

(ii) in sub-section (2), *after* the words "appointed day", the words "within such time and" shall be *inserted* and shall be deemed to have been *inserted*;

(iii) in sub-section (3), *for* the words "goods held in stock on the appointed day subject to", the words "goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as may be prescribed, subject to" shall be *substituted* and shall be deemed to have been *substituted*;

(iv) in sub-section (5), *for* the words "existing law", the words "existing law, within such time and in such manner as may be prescribed" shall be *substituted* and shall be deemed to have been *substituted*;

(v) in sub-section (6), *for* the words "goods held in stock on the appointed day subject to", the words "goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as may be prescribed, subject to" shall be *substituted* and shall be deemed to have been *substituted*.

Amendment of section 172

12. In section 172 of the principal Act, in sub-section (1), in the proviso, *for* the words "three years", the words "five years" shall be *substituted*.

Amendment to Schedule II

13. In Schedule II to the principal Act, in paragraph 4, the words "whether or not for a consideration", at both the places where they occur, shall be *omitted* and shall be deemed to have been *omitted* with effect from the 1st day of July, 2017.

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 15 of 2020

14. (1) The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Third Amendment) ordinance, 2020 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act (U.P. Act no. 1 of 2017), hereafter referred to as the said Act, has been enacted to make a provision of levy and collection of tax on *intra-state* supply of goods or services or both by the State of Uttar Pradesh.

2. The said Act, provides for certain provisions for smooth transition of existing tax payers to new goods and service tax regime. However the new tax regime had faced certain difficulties. To simplify to opt out of the registration voluntarily made, to extend the time limit to file the application for revocation of cancellation of registration, to make justified the provisions for issuing of tax invoice and deduction of tax on source, to determine the liability of actual beneficiary person in case of receiving of ITC fradulently, to carry forward the remaining ITC in existing law for period of GST and also to overcome other difficulties, it was decided to amend the said Act to provide for,-

(a) substituting sub-clause (c) and (d) of section 2 (114) of the said Act to include the re-organisation of Union teritories made by the Central Government in the Act;

(b) amending section 10 of the said Act to provide specific composition scheme for supplier of services;

(c) amending section 16(4) of the said Act to made justified the transfer of ITC by credit notes;

(d) amending section 29(1)(c) of the said Act to simplify to opt out of the registration, by person registered under section 22 or section 24 but not liable for registration and by person voluntarily registered under section 25(3) of the said Act;

(e) amending the proviso of section 30(1) of the said Act to extend the time limit to file the application for revocation of cancellation of registration;

(f) amending the proviso of section 31(2) of the said Act to make justified the provisions for issuing tax invoices;

(g) amending section 51(3) and deleting section 51(4) of the said Act to make justified the provisions for deduction of tax on source;

(h) inserting a new sub-section (1a) after section 122(1) of the said Act to determine the liability of actual beneficiary person in case of receiving of ITC fradulently;

(i) amending section 132(1) of the said Act to determine the liability of actual beneficiary person in case of receiving of ITC fradulently;

(j) amending section 140 of the said Act to implement the changes made in provisions, relating to carry forward the remaining ITC in existing law for the period of GST, from 1 July, 2017;

(k) amending the proviso of section 172(1) of the said Act to extend the time limit for empowering to remove diffculties;

(l) amending Schedule II of the said Act to implement retrospectively the changes made in Schedule II.

3. Since the State legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Third Amendment) Ordinance, 2020 (U.P. Ordinance no. 15 of 2020) was promulgated by the Governor on July 17, 2020.

4. This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 194 राजपत्र–2020–(570)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 152 सा0 विधायी–2020–(571)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

194 RPH 2020 (GST-III Amendment) (Adhiniyam) 4e

No. 1090(2)/LXXIX-V-1-21-1-ka-32-21
Dated Lucknow, December 27, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mal Aur Sewa Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 40 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 27, 2021. The Rajya Kar Anubhag-2, is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2021

(U.P. Act no. 40 of 2021)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021.

(2) Save as otherwise provided, it shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act.

Amendment of section 7

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 7, in sub-section (1), after clause (a), the following clause shall be *inserted* and shall be deemed to have been *inserted* with effect from the 1st day of July 2017, namely:-

"(aa) the activities or transactions by a person other than an individual, to its members or constituents or *vice-versa*, for cash, deferred payment or other valuable consideration.

Explanation- For the purposes of this clause, it is hereby clarified that, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree or order of any Court, Tribunal or Authority, the person and its members or constituents shall be deemed to be two separate persons and the supply of activities or transactions *inter se* shall be deemed to take place from one such person to another;"

Amendment of section 16

3. In section 16 of the principal Act, in sub-section (2), after clause (a), the following clause shall be *inserted*, namely:-

"(aa) the details of the invoice or debit note referred to in clause (a) has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37;".

Amendment of section 35

4. In section 35 of the principal Act, sub-section (5) shall be *omitted*.

Amendment of section 44

5. For section 44 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:-

"44. Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person shall furnish an annual return which may include a self-certified reconciliation statement, reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year, with the audited annual financial statement for every financial year electronically, within such time and in such form and in such manner as may be prescribed:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt any class of registered persons from filing annual return under this section:

Provided further that nothing contained in this section shall apply to any department of the Central Government or a State Government or a local authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor-General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force.".

Amendment of section 50

6. In section 50 of the principal Act, in sub-section (l), for the proviso, the following proviso shall be *substituted* and shall be deemed to have been *substituted* with effect from the 1st day of July 2017, namely :-

"Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be payable on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger.".

Amendment of section 74

7. In section 74 of the principal Act, in *Explanation* 1, in clause (ii), for the words and figures "sections 122, 125, 129 and 130", the words and figures "sections 122 and 125" shall be *substituted*.

Amendment of section 75

8. In section 75 of the principal Act, in sub-section (12), the following *Explanation* shall be *inserted*, namely :-

"*Explanation*–For the purposes of this sub-section, the expression "self-assessed tax" shall include the tax payable in respect of details of outward supplies furnished under section 37, but not included in the return furnished under section 39.".

Amendment of section 83

9. In section 83 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :–

"(1) Where, after the initiation of any proceeding under Chapter XII, Chapter XIV or Chapter XV, the Commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the Government revenue it is necessary so do to, he may, by order in writing, attach provisionally, any property, including bank account, belonging to the taxable person or any person specified in sub-section *(1A)* of section 122, in such manner as may be prescribed.".

Amendment of section 107

10. In section 107 of the principal Act, in sub-section *(6)*, the following proviso shall be *inserted*, namely :–

"Provided that no appeal shall be filed against an order under sub-section (3) of section 129, unless a sum equal to twenty-five percent of the penalty has been paid by the appellant.".

Amendment of section 129

11. In section 129 of the principal Act,–

(i) in sub-section (1), for clauses *(a)* and *(b)*, the following clauses shall be *substituted*, namely :–

"(a) on payment of penalty equal to two hundred percent of the tax payable on such goods and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to two percent of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods comes forward for payment of such penalty;

(b) on payment of penalty equal to fifty percent of the value of the goods or two hundred percent of the tax payable on such goods, whichever is higher, and in case of exempted goods, on payment of an amount equal to five percent of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods does not come forward for payment of such penalty;";

(ii) sub-section (2) shall be *omitted*;

(iii) *for* sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted*, namely :–

"(3) The proper officer detaining or seizing goods or conveyance shall issue a notice within seven days of such detention or seizure, specifying the penalty payable, and thereafter, pass an order within a period of seven days from the date of service of such notice, for payment of penalty under clause (a) or clause (b) of sub-section (1).";

(iv) in sub-section (4), *for* the words "No tax, interest or penalty", the words "No penalty" shall be *substituted*;

(v) *for* sub-section (6), the following sub-section shall be *substituted*, namely :–

"(6) Where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount of penalty under sub-section (1) within fifteen days from the date of receipt of the copy of the order passed under sub-section (3), the goods or conveyance so detained or seized shall be liable to be sold or disposed of otherwise, in such manner and within such time as may be prescribed, to recover the penalty payable under sub-section (3) :

Provided that the conveyance shall be released on payment by the transporter of penalty under sub-section (3) or one lakh rupees, whichever is less :

Provided further that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.".

Amendment of section 130

12. In section 130 of the principal Act,–

(a) in sub-section (1), *for* the words "Notwithstanding anything contained in this Act, if", the words "Where" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (2), in the second proviso, *for* the words, brackets and figures "amount of penalty leviable under sub-section (1) of section 129", the words "penalty equal to hundred percent of the tax payable on such goods" shall be *substituted*;

(c) sub-section (3) shall be *omitted*.

Amendment of section 151

13. For section 151 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :–

"151. The Commissioner or an officer authorised by him may, by an order, direct any person to furnish information relating to any matter dealt with in connection with this Act, within such time, in such form, and in such manner, as may be specified therein.".

Amendment of section 152

14. In section 152 of the principal Act,–

(a) in sub-section (1),–

(i) the words "of any individual return or part thereof" shall be *omitted*;

(ii) *after* the words "any proceedings under this Act", the words "without giving an opportunity of being heard to the person concerned" shall be *inserted*.

(b) sub-section (2) shall be *omitted*.

Amendment of Schedule II

15. In Schedule II of the principal Act, paragraph 7 shall be *omitted* and shall be deemed to have been *omitted* with effect from the 1st day of July, 2017.

Repeal and Saving

16. (1) The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2021 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 8 of 2021

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), hereinafter referred to as the " said Act", has been enacted to make provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both, by the State of Uttar Pradesh and the matters connected therewith or incidental thereto.

According to the provisions of Article 246 A(1) of the Constitution of India, both the Parliament and the State Legislature have the power to make laws for the imposition of Goods and Services Tax. On the recommendation of GST Council, certain amendments were made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 12 of 2017) *vide* the Finance Act, 2021 (Act no. 13 of 2021), which was enacted by the Parliament and received the assent of the President on 28th March, 2021.

In view of the above, it was decided to amend the said Act to incorporate the amendments made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 at the State level as well, with the view to maintain uniformity in the Central Act and the State Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2021 (U.P. Ordinance no. 8 of 2021) was promulgated by the Governor on 9th November, 2021.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 507 राजपत्र–2021–(1139)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 146 सा० विधायी–2021–(1140)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

507 RPH 2021 (G.S.T.) data 4e (makeup on data4e)

क्रम-संख्या–191(क–3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022

आश्विन 7, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 497 / 79-वि-1–2022-1-क-10-2022

लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 जिससे राज्य कर अनुभाग–2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2022 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जायेगा।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,-

(क) इस अधिनियम की धारा 1, तारीख 30 मार्च, 2022 से प्रवृत्त होगी।

(ख) इस अधिनियम के अन्य उपबंध, उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करेः

परंतु यह कि इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं।

धारा 16 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 16 में, -

(क) उपधारा (2) में,--

(i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:

"(खक) धारा 38 के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित उक्त पूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का विवरण निरवंधित नहीं किया गया है;"

(ii) खंड (ग) में, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 43क" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) में, शब्द और अंक "सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिये जाने की देय तारीख" के स्थान पर, शब्द " तीस नवम्बर" रख दिये जायेंगे।

धारा 29 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (2) में,--

(क) खंड (ख) में, शब्द "तीन क्रमवर्ती कर अवधियों तक विवरणी " के स्थान पर, शब्द "उक्त विवरणी प्रस्तुत किये जाने की देय तारीख से तीन माह से अधिक की वित्तीय वर्ष की विवरणी " रख दिये जायेंगे;

(ख) खंड (ग) में, शब्द "लगातार छह मास की अवधि" के स्थान पर, शब्द "ऐसी निरंतर कर अवधि जैसी विहित की जाये" रख दिये जाएंगे।

धारा 34 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 34 में, उपधारा (2) में, शब्द "सितम्बर मास " के स्थान पर, शब्द "तीस नवम्बर" रख दिये जायेंगे।

धारा 37 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 37 में,--

(क) उपधारा (1) में, -

(i) शब्द "इलेक्ट्रॉनिक रूप में" के पश्चात्, शब्द "ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन और" बढ़ा दिये जाएंगे;

(ii) शब्द "उक्त पूर्तियों के प्राप्तकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, संसूचित किये जायेंगे", के स्थान पर शब्द " उक्त पूर्तियों के प्राप्तकर्ता को ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, संसूचित किये जायेंगे" रख दिये जायेंगे;

(iii) प्रथम परंतुक निकाल दिया जाएगा;

(iv) द्वितीय परंतुक में, शब्द "परंतु यह और कि" के स्थान पर, शब्द "परंतु यह कि" रख दिये जायेंगे;

(v) तृतीय परंतुक में, शब्द "परंतु यह और भी कि" के स्थान पर, शब्द "परंतु यह और कि" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) निकाल दिया जाएगा;

(ग) उपधारा (3) में,--

(i) शब्द और अंक "और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बे-मिलान रह गये हैं" निकाल दिये जायेंगे;

(ii) पहले परंतुक में, शब्द और अंक "सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने" के स्थान पर, शब्द "तीस नवंबर" रख दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात्:--

"(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन किसी कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों का ब्यौरा न दिया गया हो:

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उसमें यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है भले ही उसने पिछली एक या अधिक कर अवधियों के लिए जावक पूर्ति का ब्यौरा न दिया हो।"

6-मूल अधिनियम की धारा 38 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:- धारा 38 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

"38-(1) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत जावक पूर्तियाँ और ऐसी अन्य पूर्तियाँ, जो विहित की जायें, के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरा से अन्तर्विष्ट स्वतःजनित विवरण, ऐसी पूर्तियों के प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ऐसे प्रपत्र में और रीति से, ऐसे समय के भीतर, और ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन जैसा कि विहित किया जाय, उपलब्ध कराये जायेंगे ।

आवक पूर्ति के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय की संसूचना

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वतःजनित विवरण में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे ,-

(क) आवक पूर्तियों का ब्यौरा जिसके संबंध में इनपुट कर प्रत्यय, प्राप्तकर्ता को उपलब्ध हो सकता है; और

(ख) पूर्तियों का ब्यौरा जिनके संबंध में धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की जा रही उक्त पूर्तियों के ब्योरा के कारण, प्राप्तकर्ता द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से ऐसे प्रत्यय का उपभोग नहीं किया जा सकता है,-

(i) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण ग्रहण करने की यथा विहित अवधि के भीतर; या

(ii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने कर संदाय में चूक की हो और जहां ऐसी चूक यथा विहित अवधि तक जारी हो; या

(iii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त उपधारा के अधीन प्रस्तुत जावकपूर्तियों के विवरण के अनुसार, यथा विहित अवधि के दौरान, संदेय आउटपुट कर, उक्त अवधि के दौरान उसके द्वारा संदत्त आउटपुट कर से, यथा विहित सीमा से अधिक हो; या

(iv) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, यथा विहित अवधि के दौरान उस धनराशि के इनपुट कर प्रत्यय जो उसके द्वारा खंड (क) के अनुसार उपभोग किया जा सकता है, यथा विहित सीमा से अधिक क्रेडिट प्राप्त किया हो; या

(v) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने यथा विहित शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्यधीन धारा 49 की उपधारा (12) के उपबंधों के अनुसार अपनी कर देयता का निर्वहन करने में चूक की हो; या

(vi) यथा विहित अन्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा ।"

7-मूल अधिनियम की धारा 39 में,- धारा 39 का संशोधन

(क) उपधारा (5) में, शब्द "बीस" के स्थान पर, शब्द "तेरह" रख दिया जाएगा;

(ख) उपधारा (7) में, प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सरकार को यथा विहित प्रपत्र में तथा रीति से एवं समय के भीतर संदाय करेगा, -

(क) किसी माह के दौरान माल या सेवाओं या दोनों की आवक तथा जावकपूर्तियों, उपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए देय कर के बराबर धनराशि; या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट धनराशि के बदले में, यथा विहित रीति से और शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्यधीन अवधारित धनराशि;"

(ग) उपधारा (9) में, --

(i) शब्द और अंक "धारा 37 और 38 के उपबंधों के अध्यधीन यदि" के स्थान पर, शब्द "जहां" रख दिया जाएगा;

(ii) परंतुक में, शब्द "सितम्बर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए" के स्थान पर, शब्द " तीस नवम्बर" रख दिये जाएंगे;

(घ) उपधारा (10) में, शब्द "नहीं दी गयी है" के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

"या उसके द्वारा उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों का ब्यौरा नहीं दिया गया है:

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, यथाविनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है भले ही उसने एक या उससे अधिक पूर्व कर अवधियों की विवरणी प्रस्तुत न की हो या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत न किया हो ।"

धारा 41 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

8-मूल अधिनियम की धारा 41 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:-

इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति

"41-(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, यथा विहित शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, अपनी कर विवरणी में स्वत: निर्धारित उपयुक्त इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा, और ऐसी धनराशि उसके इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में जमा की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्तियों के संबंध में उपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय, जिन पर संदेय कर पूर्तिकर्ता द्वारा संदत्त न किया गया हो, उक्त व्यक्ति द्वारा यथाविहित रीति से लागू ब्याज सहित प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा :

परंतु यह कि जहां उक्त पूर्तिकर्ता पूर्वोक्त पूर्तियों के संबंध में संदेय कर का संदाय करता है वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने द्वारा प्रतिवर्तित प्रत्यय की धनराशि का पुनःउपभोग यथाविहित रीति से कर सकता है"।

धारा 42, 43 और 43क का निकाला जाना

9-मूल अधिनियम की धाराएं 42, 43 और 43क निकाल दी जायेंगी ।

धारा 47 का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 47 में, उपधारा (1) में, -

(क) शब्द "या अंतर्गामी" निकाल दिया जाएगा;

(ख) शब्द और अंक "या धारा 38" निकाल दिये जाएंगे;

(ग) शब्द और अंक "धारा 39 या धारा 45" के पश्चात्, शब्द और अंक "या धारा 52" बढ़ा दिये जाएंगे।

धारा 48 का संशोधन

11-मूल अधिनियम की धारा 48 में,उपधारा (2) में, शब्द और अंक "धारा 38 के अधीन अंतर्गामी पूर्तियों के ब्यौरे" निकाल दिये जाएंगे।

धारा 49 का संशोधन

12-मूल अधिनियम की धारा 49 में,-

(क) उपधारा (2) में, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 43 क" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) में, शब्द "ऐसी शर्तों" के पश्चात् शब्द "और निर्बंधन" बढ़ा दिये जाएंगे;

(ग) उपधारा (11) के, पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:-

"(12) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, यथाविहित शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन आउटपुट कर देयता का यथाविहित अधिकतम अनुपात विनिर्दिष्ट कर सकती है जिसका निस्तारण, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते के माध्यम से किया जा सकता है ।"

धारा 50 का संशोधन

13-मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी और 1 जुलाई, 2017 से रखी गयी समझी जायेगी, अर्थात्:-

"(3) जहां इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग और उपयोग गलत तरीके से किया गया हो वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे गलत तरीके से उपभुक्त और उपयोग कृत इनपुट कर प्रत्यय पर अनधिक चौबीस प्रतिशत दर, जैसा कि परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, से ब्याज का संदाय करना होगा, और ब्याज की गणना ऐसी रीति से की जायेगी जैसा कि विहित किया जाये ।

धारा 52 का संशोधन

14-मूल अधिनियम की धारा 52 में, उप-धारा (6) के परंतुक में, शब्द "सितम्बर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिये सम्यक तारीख" के स्थान पर, शब्द " तीस नवम्बर" रख दिये जायेंगे।

धारा 54 का संशोधन

15-मूल अधिनियम की धारा 54 में ,--

(क) उप-धारा (1) के परंतुक में, शब्द और अंक "धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय" के स्थान पर, शब्द "ऐसे प्ररुप और" रख दिये जायेंगे;

(ख) उप-धारा (2) में, शब्द "छह मास" के स्थान पर, शब्द "दो वर्ष" रख दिये जाएंगे;

(ग) उप-धारा (10) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उप-धारा (3) के अधीन" निकाल दिये जाएंगे;

(घ) स्पष्टीकरण में, खंड (2) में, उपखंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"(ख क) किसी विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक परिक्षेत्र इकाई को माल या सेवाओं या दोनों की शून्य-दर वाली पूर्ति के मामले में, जहाँ स्वयं ऐसी पूर्तियों या ऐसी पूर्तियों में प्रयुक्त यथास्थिति इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदत्त कर प्रति संदाय उपलब्ध हो वहाँ ऐसी पूर्तियों के संबंध में धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख"।

————————

उद्देश्य एवं कारण

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017), जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, माल या सेवा या दोनों की अन्तःराज्यीय पूर्ति पर, कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

2--उक्त अधिनियम में विद्यमान करदाताओं के नए माल और सेवा कर व्यवस्था में सुचारु रूप से संक्रमण के लिए कतिपय उपबंध किये गये हैं। तथापि नई कर व्यवस्था में कतिपय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। लघु और मध्यम करदाताओं को हुयी बहुत सी असुविधाओं में से एक असुविधा माल और सेवा कर विधियों के अधीन विवरणी दाखिल करने और इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने की जटिल प्रक्रिया थी। इस संबंध में प्रस्तावित परिवर्तनों में इनपुट कर प्रत्यय के दावों में निश्चितता और करदाताओं के लिए इनपुट कर प्रत्यय सत्यापन के दोतरफा संचार समाप्ति परिकल्पित की गई है। उपर्युक्त परिवर्तनों को क्रियान्वित करने तथा अन्य कठिनाइयों को भी दूर करने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम की सुसंगत धाराओं में संशोधन करके उक्त अधिनियम को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 497 (2)/LXXIX-V-1–2022-1-ka-10-2022

Dated Lucknow, September 29, 2022

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Maal aur Sewa Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 2022) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 29, 2022. The Rajya Kar Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2022

(U.P. Act No. 11 of 2022)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislatlure]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy third Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2022.

(2) Save as otherwise provided in this Act,-

(a) Section 1 of this Act shall come into force with effect from 30th March, 2022;

(b) The other provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint :

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act.

Amendment of section 16

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 16,–

(a) in sub-section (2)–

(i) *after* clause (b), the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(ba) the details of input tax credit in respect of the said supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted;";

(ii) in clause (c), the words, figures and letter "or section 43A" shall be *omitted*;

(b) in sub-section (4), *for* the words and figures "due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September", the words "thirtieth day of November" shall be *substituted*.

Amendment of section 29

3. In section 29 of the principal Act, in sub-section (2), —

(a) in clause (b), *for* the words "returns for three consecutive tax periods", the words "the return for a financial year beyond three months from the due date of furnishing the said return" shall be *substituted*;

(b) in clause (c), *for* the words "a continuous period of six months", the words "such continuous tax period as may be prescribed" shall be *substituted*:-

Amendment of section 34

4. In section 34 of the principal Act, in sub-section (2), *for* the word "September", the words "the thirtieth day of November" shall be *substituted.*

Amendment of section 37

5. In section 37 of the principal Act,–

(a) in sub-section (1)–

(i) *after* the words "shall furnish, electronically,", the words "subject to such conditions and restrictions and" shall be *inserted*;

(ii) *for* the words "shall be communicated to the recipient of the said supplies within such time and in such manner as may be prescribed", the words "shall, subject to such conditions and restrictions, within such time and in such manner as may be prescribed, be communicated to the recipient of the said supplies" shall be *substituted*;

(iii) the first proviso shall be *omitted*;

(iv) in the second proviso, *for* the words "Provided further that", the words "Provided that" shall be *substituted*;

(v) in the third proviso, *for* the words "Provided also that", the words "Provided further that" shall be *substituted*;

(b) sub-section (2) shall be *omitted*;

(c) in sub-section (3),—

(i) the words and figures "and which have remained unmatched under section 42 or section 43" shall be *omitted*;

(ii) in the first proviso, *for* the words and figures "furnishing of the return under section 39 for the month of September", the words "the thirtieth day of November" shall be *substituted*;

(d) *after* sub-section (3), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(4) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period, if the details of outward supplies for any of the previous tax periods has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the commendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified there in, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies under sub-section (1), even if he has not furnished the details of outward supplies for one or more previous tax periods.".

Substitution of new section for section 38

6. *For* section 38 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:–

Communication of details of inward supplies and input tax credit

"38. (1) The details of outward supplies furnished by the registered persons under sub-section (1) of section 37 and of such other supplies as may be prescribed, and an auto generated statement containing the details of input tax credit shall be made available electronically to the recipients of such supplies in such form and manner, with in such time, and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.

(2) The auto-generated statement under sub-section (1) shall consist of–

(a) details of inward supplies in respect of which credit of input tax may be available to the recipient; and

(b) details of supplies in respect of which such credit cannot be availed, whether wholly or partly, by the recipient, on account of the details of the said supplies being furnished under sub-section (1) of section 37,—

(i) by any registered person within such period of taking registration as may be prescribed; or

(ii) by any registered person, who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for such period as may be prescribed; or

(iii) by any registered person, the output tax payable by whom in accordance with the statement of outward supplies furnished by him under the said sub-section during such period, as may be prescribed, exceeds the output tax paid by him during the said period by such limit as may be prescribed; or

(iv) by any registered person who, during such period as may be prescribed, has availed credit of input tax of an amount that exceeds the credit that can be availed by him in accordance with clause (a), by such limit as may be prescribed; or

(v) by any registered person, who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with the provisions of sub-section (12) of section 49 subject to such conditions and restrictions as may be prescribed; or

(vi) by such other class of persons as may be prescribed.".

Amendment of section 39

7. In section 39 of the principal Act,—

(a) in sub-section (5), *for* the word "twenty", the word "thirteen" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (7), *for* the first proviso, the following proviso shall be *substituted*, namely: —

"Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed,—

(a) an amount equal to the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month; or

(b) *in lieu of* the amount referred to in clause (a), an amount determined in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.";

(c) in sub-section (9), —

(i) *for* the words and figures "Subject to the provisions of sections 37 and 38, if", the word "Where" shall be *substituted*;

(ii) in the proviso, *for* the words "the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter", the words "the thirtieth day of November" shall be *substituted*;

(d) in sub-section (10), *for* the words "has not been furnished by him", the following shall be *substituted*, namely:—

"or the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified there in, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return, even if he has not furnished the returns for one or more previous tax periods or has not furnished the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period.".

Substitution of new section for section 41

8**.** *For* section 41 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:—

Availment of input tax credit

"41. (1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to avail the credit of eligible input tax, as self-assessed, in his return and such amount shall be credited to his electronic credit ledger.

(2) The credit of input tax availed by a registered person under sub-section (1) in respect of such supplies of goods or services or both, the tax payable whereon has not been paid by the supplier, shall be reversed along with applicable interest, by the said person in such manner as may be prescribed:

Provided that where the said supplier makes payment of the tax payable in respect of the aforesaid supplies, the said registered person may re-avail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed.".

Omission of sections 42, 43 and 43A

9**.** Sections 42, 43 and 43A of the principal Act shall be *omitted*.

Amendment of section 47

10. In section 47 of the principal Act, in sub-section (1), —

(a) the words "or inward" shall be *omitted*;

(b) the words and figures "or section 38" shall be *omitted*;

(c) *after* the words and figures "section 39 or section 45", the words and figures "or section 52" shall be *inserted*.

11. In section 48 of the principal Act, in sub-section (2), the words and figures, "the details of inward supplies under section 38" shall be *omitted*. Amendment of section 48

12. In section 49 of the principal Act,— Amendment of section 49

(a) in sub-section (2), the words, figures and letter "or section 43A" shall be *omitted*;

(b) in sub-section (4), *after* the words "subject to such conditions", the words "and restrictions" shall be *inserted*;

(c) *after* sub-section (11), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(12) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, subject to such conditions and restrictions, specify such maximum proportion of output tax liability under this Act which may be discharged through the electronic credit ledger by a registered person or a class of registered persons, as may be prescribed.".

13. In section 50 of the principal Act, *for* sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted* and shall be deemed to have been *substituted* with effect from the 1st day of July, 2017, namely:— Amendment of section 50

"(3) Where the input tax credit has been wrongly availed and utilised, the registered person shall pay interest on such input tax credit wrongly availed and utilised, at such rate not exceeding twenty-four per cent. as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, and the interest shall be calculated, in such manner as may be prescribed.".

14. In section 52 of the principal Act, in sub-section (6), in the proviso, *for* the words "due date for furnishing of statement for the month of September", the words "thirtieth day of November" shall be *substituted*. Amendment of section 52

15. In section 54 of the principal Act, — Amendment of section 54

(a) in sub-section (1), in the proviso, *for* the words and figures "the return furnished under section 39 in such", the words "such form and" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (2), *for* the words "six months", the words "two years" shall be *substituted*;

(c) in sub-section (10), the words, brackets and figure "under sub-section (3)" shall be *omitted*;

(d) in the Explanation, in clause (2), *after* sub-clause (b), the following sub-clause shall be *inserted*, namely:—

"(ba) in case of zero-rated supply of goods or services or both to a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit where a refund of tax paid is available in respect of such supplies themselves, or as the case may be, the inputs or input services used in such supplies, the due date for furnishing of return under section 39 in respect of such supplies;".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U. P. Act no. 1 of 2017), hereafter referred to the said Act, has been enacted to make a provision for levy and collection of tax on intra-state supply of goods or services or both by the State of Uttar Pradesh and the matters connected therewith or incidental thereto.

2. The said Act, provides for certain provisions for smooth transition of existing tax payers to new goods and service tax regime. However the new tax regime had faced certain difficulties. One of the many inconveniences caused to the small and medium tax payers was the complex process of filing return and claiming input tax credit under the Goods and Services Tax laws. In this regard the proposed changes envisages certainty in claims of input tax credit and end of two way communication of input tax credit verification for taxpayers. In order to implement above changes and also to overcome other difficulties, it was decided to amend the said Act by amending the relevant sections of the said Act.

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2022 is introduced accordingly.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 569 राजपत्र–2022–(915)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 68 सा0 विधायी–2022–(916)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

569_RPH_vidhaika -21 Adhiniyam folder _(GST)-2022 Data-4E